

फर्द अहकाम  
(निगम 28)

अधीन अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)  
नम्बरीदेवी धरणी रवतसाम बराम तहसीलदार  
किसम युकरमा :- राजरव चाद, नम्बर :-116 / 2023

नम्बर व  
तारीख  
अहकाम जो  
हक हुकम  
की तामील  
में जारी  
हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रार्थी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प गरनिया में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 LR Act. के तहत् पेश किया। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा-गरनिया में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 267/7 एवं 267/10 में प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि हैं। प्रार्थीगण की आराजी में सैग्रीगेशन के समय सहवन से गलत समान ही है, परन्तु सैग्रीगेशन के समय तरमीम गलत दर्ज हो गई, वर्तमान मौका स्थिति अनुरूप तरमीम शुद्ध दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प गरनियां नजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का गरनिया, भू. अ. निरीक्षक बैडकलां व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें ख.नं. ख.नं. 267/7 एवं 267/10 खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। सैग्रीगेशन के समय सहवन से गलत तरमीम हो गई, पटवारी हल्का ने आने जांच प्रतिवेदन में मौका स्थिति अनुरूप नजरी नक्शा प्रस्तुत किया, तरमीम मौके अनुरूप राजस्व नक्शे में दुरुस्ती किये जाने की अभिशंषा की है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक बैडकलां व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधार पर मौजा-गरनिया पटवार हल्का बैडकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 267/7 एवं 267/10 में अशुद्ध रूप से की गई तरमीम को दुरुस्ती किये जाने एवं तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्दा पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गुमान मन्दर)  
SDO  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक पालनकार जैतारण (पाली)